न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 03/2019

1– नौसाद सैय्यद पुत्र श्री मौहम्मद नूर जाति मुसलमान निवासी केकडी तहसील केकडी जिला–अजमेर

2– मुरलीधरशर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी अजगरा तहसील सरवाड जिला–अजमेर

3– विष्णुसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी केकडी तहसील केकडी जिला–अजमेर

4– सत्यनारायण पुत्र श्री रघुनाथ जाति माली निवासी केकडी तहसील केकडी जिला–अजमेर

——— वादीगण

ब ना म

1– राजस्थान जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

———–प्रतिवादी

संशोधित वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0 एंव धारा 136 व 131 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 18.02.2021

संक्षिप्तः वादीगण ने अपने वाद में कथन किया है, कि मौजा ग्राम नगर पटवार हल्का शिखरानी द्वितीय तहसील बिजयनगर में वादीगण की कब्जे काश्त एंव स्वामित्व खातेदारी की क्रयशुदा भूमि खसरा नंबर 1494 रकबा 0.6151 हैक्टयर किस्म बारानी–1 स्थित है। उक्त आराजी के पूर्व खातेदार नाथू पुत्र रामलाल जाति सुनार के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में खेवट जमाबंदी की सख्या 1 खतौनी जमाबंदी की संख्या 2 खसरा नंबर 407/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा बारानी–1 खातेदारी व खेवट या जमाबंदी संख्या 1/21 खसरा नंबर 407 मिन रकबा 15 बिस्वा गैरखातेदार दर्ज थी। साबिक खसरा नंबर 407 का सम्पूर्ण रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा था जिसके वर्किंग खसरा नंबर 650 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 651 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 651/1178 रकबा 17 बिस्वा बने जिनका सम्पूर्ण रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा है, पूर्व खातेदार माधु पुत्र रामलाल के खातेदारी खसरा नंबर 407/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा को मिलान क्षेत्रफल अनुसार नये खसरा नंबर 651 वर्किंग जमाबंदी में दर्ज किया गया। माधुलाल का विरासत नामान्तकरण दिनांक 26.5.1983 से देवीलाल, छगनलाल पुत्र माधुलाल के नाम अंकन हुआ व देवीलाल, छगन पिता माधु सुनार के राजस्व केम्प बरलद्वितीय में दिनांक 14.5.1984 को खसरा नंबर 651 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा आराजी आवंटन हुई जिसका गैरखतोदारी का नामान्तरण संख्या 175 दिनांक 14.5.1984 को स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार खसरा नंबर 651/1389 रकबा 15 बिस्वा नामान्तकरण संख्या 270 दिनांक 23.5.1992 से खातेदारी दर्ज की गई। इस प्रकार कुल मिलाकर खसरा नंबर 651 [illegible] बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण देवीलाल, छगन पुत्र माधु के नाम राजस्व रेकार्ड [illegible] से 2055 खातेदारी दर्ज थी। राजस्व जमाबंदी संवत 20[illegible] में [illegible] संख्या 101 पुरा[illegible] खसरा नंबर 651/2 रकबा 0.6151 है[illegible] व वर्तमान में विभा[illegible] खसरा नंबर 651/2 को नये खसरा नंबर 1494/651 [illegible] किये गये। राजस्व कर्मचारीयो द्वारा सहवन से खसरा नंबर 651/1178 रकबा 17 बिस्वा मिलान क्षेत्रफल अनुसार बनता है, जिसमें से भी अलग किया गया खसरा नंबर 651/1389 रकबा 15 बिस्वा पूर्व खातेदार के नाम खातेदारी दर्ज थी जो कि खसरा नंबर 651/1178 रकबा 2 बिस्वा ही बनता है जिसे वर्तमान राजस्व रेकार्ड में 0.2428 हैक्टयर किया गया है पूर्व राजस्व रेकार्ड के अनुसार खसरा नंबर 651/1178 रकबा 2 बिस्वा ही बनता है जिसे संशोधन किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:23:29 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व कर्मचारीया की सहवन गलती के कारण वादीगण की आराजी खसरा नंबर 1494/651 रकबा 0.6151 हैक्टयर वर्तमान नक्शा टेस में क्षैत्रफल लगभग 0.25 हैक्टयर ही है व खसरा नंबर 651/1178 रकबा 2 बिस्वा अर्थात 0.0160 हैक्टयर ही बनता है। जिसका क्षैत्रफल वर्तमान नक्शे में लगभग 0.3180 हैक्टयर बन रहा है जिसे नक्शा ट्रेस व राजस्व जमाबंदी को दुरूस्त किया जाकर खसरा नंबर 651/1178 रकबा 2 बिस्वा अर्थात 0.0160 है। उक्त अनुसार वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। इसलिये इस वाद को प्रस्तुत किया जा रहा है, अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि खसरा नंबर 651/1178 रकबा 2 बिस्वा अर्थात 0.0160 नक्शा ट्रेस में वादीगण के खसरा नंबर 1494/651 में सम्मिलित कर बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश कर वादी के अधिकांश वाद पत्र के तथ्यो को रिकार्ड के अनुसार सही होना कथन किया है।

प्रकरण में वादीगण के अधिवक्ता ने कथन किया है, कि प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते तथा पत्रावली पर उपस्थिति दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण में बहस सुनकर निर्णय पारीत किया जावे। जिस पर वकील वादीगण ने अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये बहस कर कथन किया है, कि दस्तावेजो के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात प्रस्तुत किये जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में खसरा नबर 1494/651 रकबा 0.6151 हैक्टयर वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में मादू पुत्र रामलाल साबिक खसरा नंबर 407/1 खातेदारी में तथा 407 मि. गैरखातेदारान कब्जा नाजायज दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में साबिक खसरा नंबर 407 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा सरकारी पडत जमीने एंव खसरा नंबर 407 मिन रकबा 2 बिस्वा कल्याण पुत्र भूरा भांबी गैर खातेदारान कब्जा नाजायज दर्ज होना पाया गया। साबिक खसरा नंबर 407 का मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत किया गया। वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में हाल खसरा नंबर 651 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा माधुलाल पुत्र रामलाल कौन सुनार एंस इसी जमाबंदी में लाल स्याही से विरासती नामन्तकरण देवीलाल, छगनलाल पिसरान माधुलाल के नाम दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार खसरा नंबर 651/1187 गैरखातेदारी का विरासती नामन्तकरण दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2044 से 2047 में खसरा नंबर 651/2 एंव 651/1389 देवीलाल, छगनलाल पिसरान माधुलाल के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार खसरा नंबर 651/1187 सरकारी खाते मे दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2048 से 2051, 2052 से 2055 में खसरा नंबर 651/2 एंव 651/1390 देवीलाल, छगनलाल के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। इसी जमाबंदी में खसरा नंबर 651/2 व 651/1389 देवीलाल वगैरह के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2060 से 2063 खसरा नंबर 651/2 देवीलाल के वारीसान एंव छगनलाल के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2060 से 2063 खसरा नंबर 651/1 रतन, शंकर, छोटू पिसरान कल्याण कौम भांबी के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार से जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में खसरा नंबर 1534/651 एंव 1674/1111 में उक्त कल्याण भांबी के वारीसान के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया।

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:23:29 IST
Reason: SelfAttested

इसी प्रकार से जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खसरा नंबर 651/1178 रकबा 0.2428 हैक्टयर बंजर भूमि सरकारी खाते में दर्ज होना पाया गया। नामान्तकरण संख्या 144 माधु पुत्र रामलाल के स्थान पर विरासती नामान्तकरण दर्ज होना पाया गया। नामान्तकरण 175 में देवीलाल व छगनलाल के नाम गैरखातेदारी का नामान्तरण दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार से नामान्तकरण संख्या 270 देवीलाल व छगनलाल के नाम खातेदारी में नामान्तकरण दर्ज होना पाया गया। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार भूमि खसरा नंबर 1494/651 रकबा 0.6151 हैक्टयर जो कि वादीगण की ही खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। तथा साबिक खसरा नंबर 407 जो कि जमाबंदी संवत 2022 से 2025 के अनुसार सरकारी पडत जमीने दर्ज होना पाया गया। वादीगण ने पूर्व मालिको से खातेदारी की भूमि खरीद होना अपने वाद में अंकित किया गया है, किन्तु उसके विषय में ऐसा कोई बेचाननामा या किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, तथा जो खरीद की गई भूमि थी उसी के अनुरूप राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है। एंव जमाबंदी संवत 2044 से 2047 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एंव जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में खसरा नंबर 651/1178 रकबा 0.2428 हैक्टयर बंजर भूमि सरकारी खाते में दर्ज है। तथा वकील वादीगण ने भी अपनी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि पेराफेरी क्षैत्र में है, तथा नगरपालिका ऐरिया में है। उक्त सिवायचक भूमि पर वादीगण का कब्जा होने तथ्यो के विषय में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा
(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:23:29 IST
Reason: SelfAttested